न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, केकडी अजमेर

पीठासीन अधिकारी:– रमेश कुमार करोल, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 345/2018

सी.आई.एस. सं. 46/2019

अरूण कुमार पुत्र किशनप्रकाश सोनी, निवासी केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
..... परिवादी

बनाम

महेंद्र रेगर पुत्र श्री कल्याण रेगर, निवासी सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।
.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थित:–
1– श्री अब्दुल सलीम गौरी, अधिवक्ता–परिवादी की ओर से।
2– श्री फरीद खान, अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 13.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी अरूण कुमार की ओर से एक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने परिवादी से घरेलू आवश्यकता हेतु 1,20,000/– रुपये उधार लिए थे, जिसकी अदायगी हेतु अभियुक्त ने अपने बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सरवाड़ का एक चैक सं. 102886 रुपये 1,20,000/– रुपये दिनांकित 28.03.2018 का परिवादी को हस्ताक्षरशुदा दिया। परिवादी ने उक्त चैक राशि प्राप्त करने हेतु आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा केकड़ी में पेश किया, जिसे बैंक ने **"अपर्याप्त निधि"** का पृष्ठांकन कर उक्त चैक परिवादी को दिनांक 31.03.2018 को लौटा दिया। परिवादी ने अभियुक्त को दिनांक 13.04.2018 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस सूचित किया। अभियुक्त ने नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी नोटिस की मियाद में उक्त अनादरित चैक की राशि का भुगतान नहीं किया।

2. उक्त परिवाद पत्र पेश होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया एवं अभियुक्त को तलब किया गया।

3. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर उसे धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक सुनाया–समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. परिवादी की ओर से अपने समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को गवाह पी.ड.–1 अरूण कुमार के रूप में परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 मूल चैक, प्रदर्श 2 बैंक रिटर्न मीमो, प्रदर्श 3 डाक लिफाफा, प्रदर्श 4 डाक रसीद, प्रदर्श 5 पावती रसीद व प्रदर्श 6 विधिक नोटिस पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

5. अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष बताते हुए उसे झुठा फंसाया जाने के कथन किए गए। साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि परिवादी ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना मामला अभियुक्त पर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य अखण्डनीय रही है। परिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा का सृजन किया गया है तथा उपधारणा को खण्डित करने का भार अभियुक्त पर था, जिसका उसके द्वारा निर्वहन नहीं किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित किया गया है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्डित करने तथा चैक की दोगुनी राशि से दण्डित करने एवं उक्त राशि परिवादी को दिलाये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि मुलजिम ने परिवादी को कभी चैक नहीं दिया एवं न ही कोई रूपये उधार लिये हैं। परिवादी द्वारा अभियुक्त को जो नोटिस प्रेषित किया गया है, वह कभी अभियुक्त को प्राप्त ही नहीं हुआ क्योंकि नोटिस अपूर्ण

पते पर भेजे जाने की वजह से नोटिस अभियुक्त को प्राप्त ही नहीं हुआ एवं नोटिस की प्राप्ति पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी नहीं है तो एेसे में यह साबित नहीं होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को नोटिस प्रेषित किया गया हो एवं उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया हो। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा परिवादी से कोई विधिक ऋण नहीं लिया गया है। परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त को रूपये देने के तथ्य के संबंध में गंभीर विरोधाभासी कथन किये गये है परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य में यह कहीं भी वर्णित नहीं किया है कि उसने अभियुक्त को कब रूपये उधार दिये। परिवादी द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. आर.एल. वर्मा एंड सन्स बनाम पी सी शर्मा ए.आई.आर 2019 डीईएल 940
2. अब्दुल रहीम बनाम सुक्कु सी.आरएलए नं. 553/2014 केरल उच्च न्यायालय
3. एन. विजय कुमार बनाम विश्वनाथन राव क्रि. अपील नं. 5305/2024 एस.सी.
4. बसलिंगप्पा बनाम मुदीबसप्पा ए.आई.आर 2019 एस.सी.
5. पुष्पा देवी बनाम हनुमान राम ए.आई.आर 2019 राज. 1039
6. श्री दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा सी.आरएल.ए नं. 200139/2019 कर्नाटक एच.सी.

7. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि–

1. क्या अभियुक्त ने परिवादी से 1,20,000/– रुपये की उधार ली गई राशि के भुगतान पेटे चैक संख्या 102886 राशि 1,20,000/– रुपये दिनांक 28.03.2018 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सरवाड़ का परिवादी को दिया, जो परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा **"अपर्याप्त निधि"** के पृष्ठांकन के साथ परिवादी को लौटाया गया। इसके उपरांत चैक अनादरण की सूचना जरिये नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि का भुगतान विहित समयावधि में परिवादी को नहीं कर धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किया ?

2. यदि हां, तो उक्त अपराध का उचित दण्ड क्या होगा? ''

8. उभय पक्षों के तर्कों के प्रकाश में सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त ने परिवादी को बकाया पेटे एक चैक दिया ? इस संबंध में परिवादी की ओर से अपने परिवाद पत्र के समर्थन में मुख्य परीक्षण बाबत् जो शपथ पत्र गवाह पी डब्ल्यू 1 अरूण कुमार का पेश किया है, उसमें परिवादी द्वारा अभियुक्त को 1,20,000/– रुपये देने व अभियुक्त द्वारा उक्त राशि की अदायगी पेटे चैक संख्या 102886 राशि 1,20,000/–रुपये का बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सरवाड़ का दिनांक 28.03.2018 को भरकर दिया।

9. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में विवादित चैक प्रदर्श 1 दिनांक 28.03.2018 का है, जो विधितः अवधि के दौरान समाशोधन हेतु परिवादी बैंक द्वारा अपने बैंक में प्रस्तुत किया जाना परिवाद पत्र में अंकित है। चैक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर होने का तथ्य किसी भी स्तर पर विवादित नहीं किया गया है। अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर होने के तथ्य से इन्कार नहीं किया है। चैक बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2018 को **"अपर्याप्त निधि"** के रिमार्क के साथ परिवादी को लौटा दिया। परिवादी ने निश्चित समय अवधि में चैक को बैंक में प्रस्तुत किया, जो अभियुक्त के खाता **"अपर्याप्त निधि"** होने के कारण अनादरित हो गया।

10. पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो उभय पक्षों की ओर से चैक अभियुक्त के बैंक खाते का होना, चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, चैक को वैधता अवधि के दौरान समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने, **चैक "अपर्याप्त निधि"** होने के रिमार्क से अनादरित हो जाने से संबंधित तथ्यों के संबंध में विवाद नहीं किया गया है। ऐसे में चैक पर अभियुक्त द्वारा अपने हस्ताक्षर प्रकट होने के रिमार्क के साथ उपधारणा के प्रयोजन से प्राथमिक तथ्यों को स्थापित करने से परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन होता है। इसी प्रकार धारा 139 में यह प्रावधानित है कि– ''जब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे कि यह उपधारणा की जावेगी कि चैक के धारक ने यह चैक धारा 138 में निविर्दिष्ट किसी ऋण अन्यथा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। ''

11. इस प्रकार ऊपर वर्णित विवेचनानुसार धारा 118 व 139 एन.आई. एक्ट में दी गई व्यवस्था के अनुरूप अभियुक्त के विरुद्ध यह उपधारणा बनती है कि चैक उसने किसी प्रतिफल की एवज में ही दिया था। हालांकि, यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसको खण्डित करने का भार अभियुक्त पर ही था। अतः ऐसी स्थिति में धारा 118 व 139 एन.आई. एक्ट में दी गई उपधारणा के मद्देनजर यह साबित पाया जाता है कि चैक अभियुक्त के द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व के पेटे दिया था।

12. अतः अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है अथवा नहीं ? इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान यह तर्क दिया है कि अभियुक्त को जो नोटिस भेजा गया है, वह अपूर्ण पते पर भेजा गया है। रजिस्टर्ड ए.डी. पर भी दूसरा पता लिखा हुआ है। जो पता रजिस्टर्ड ए.डी. पर लिखा गया है, वह पता नोटिस में नहीं लिखा हुआ है। पावती पत्र पर डाक विभाग की किसी प्रकार की कोई मोहर भी नहीं है। जो पावती रसीद बतायी गयी है, उसमें कांता के हस्ताक्षर है। इसके विपरीत, परिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि अभियुक्त को सही पते पर नोटिस भेजा गया है।

13. दोनों पक्षों की बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह दर्शित होता है कि परिवादी ने अभियुक्त को एक नोटिस प्रदर्श 6 प्रेषित किया है, जिस पर अभियुक्त का पता सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर लिखा हुआ है तथा रजिस्टर्ड ए.डी. प्रदर्श 5 है, जिस पर मुलजिम का पता रेगर बस्ती, वार्ड नं. 2, सरवाड़ लिखा हुआ है। पावती रसीद पर किसी प्रकार की डाक विभाग की कोई मोहर नहीं है व न ही ऐसी कोई डिलीवरी रिपोर्ट पेश की है, जिससे दर्शित होता कि अभियुक्त को नोटिस प्रदर्श 6 प्राप्त हो गया हो। परिवादी ने अपने मुख्य परीक्षण में नोटिस दिनांक 16.04.2018 को मिलना बताया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि अभियुक्त को दिनांक 16.04.2018 को नोटिस मिला हो, ऐसी कोई तारीख पावती रसीद पर नहीं है व न ही प्रदर्श 4 रजिस्टर्ड डाक की रसीद की ट्रेकिंग रिपोर्ट भी पेश है, जिससे यह साबित हो कि दिनांक 16.04.2018 को नोटिस अभियुक्त को मिला हो। इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त ने न्यायिक दृष्टांत

RL Varma & Sons vs PC Sharma AIRONLINE 2019 DEL 940 पेश किया है।

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पैरा सं. 22 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Legal presumption of service of notice can only arise in case the notice is correctly addressed. If the notice is incorrectly addressed no legal presumption can arise. In the present case, the complainant had annexed the leuerhead of the petitioner containing the address mentioned in the statutory notice but specifically mentioning there in the correspondence address as that of New Friends Colony."

14. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में मामले को देखा जावे तो अभियुक्त का पता सही लिखा होना चाहिए, जिस पर अभियुक्त को तामील हो पाती। परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि जो नोटिस उसने भिजवाया, वह अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुआ। यह कहना सही है कि परिवाद में उसने मुलजिम का पता सरवाड़ लिखा है। यह बात सही है कि मुलजिम का पता सरवाड़ पूर्ण पता नहीं है। न्यायालय के विनम्र मत में जहां सरवाड़ कस्बा काफी बड़ा है तथा अभियुक्त को पूर्ण पता नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को प्रेषित नोटिस की तामील अभियुक्त को हो गयी हो। अतः यह साबित नहीं है कि नोटिस अभियुक्त को मिल गया हो।

15. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त परिवादी के मामले में अंतर्निहित कमियों को दर्शित कर उसके पक्ष में धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत सृजित विधिक दायित्व की उपधारणा को संभावनाओं की प्रबलता तक खंडित करने में तथा परिवादी के संस्करण पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है। वहीं दूसरी ओर परिवादी अपने shifted onus' को उनमोचित करने में तथा अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धी करवाये जाने के लिए परिवादी को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना मामला युक्तियुकत संदेह

से परे प्रमाणित करना होता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Lakshmi Dyechem vs. State of Gujarat, (2012) 13 SCC 375** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "Therefore, if the accused is able to establish a probable defence which creates doubt about the existence of a legally enforceable debt or liability, the prosecution can fail. The accused can rely on the materials submitted by the complainant in order to raise such a defence and it is inconceivable that in some cases the accused may not need to adduce the evidence of his/her own."

16. हस्तगत प्रकरण में परिवादी न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से 1,20,000/– रूपये उधार लिये हो तथा उक्त उधार ली गई राशि के अदायगी पेटे अभियुक्ता द्वारा परिवादी को विवादित चैक प्रदर्श पी–1 सुपुर्द किया गया हो। साथ ही परिवादी इस तथ्य को भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्ता द्वारा परिवादी को दिया गया विवादित चैक किसी विधिक ऋण या दायित्व पेटे हेतु दिया गया हो। इसलिए उसके विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

17. अतः अभियुक्त महेंद्र रेगर पुत्र श्री कल्याण रेगर, निवासी सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट में सदेंह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(रमेश कुमार करोल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या 1, केकड़ी अजमेर

18. निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रमेश कुमार करोल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या 1, केकड़ी अजमेर